

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-45/2020/पी-1/इकतीस  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02.01.2021

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
तुलसीनगर, भोपाल

विषय:- न मांग न जांच प्रमाण पत्र बाबत- श्री प्रमोद कुमार खरे पदेन अवर सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग (मूल पद-कार्यपालन यंत्री सिविल)

श्री प्रमोद कुमार खरे, पदेन अवर सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग (मूल पद-कार्यपालन यंत्री सिविल) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दि. 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

2. श्री प्रमोद कुमार खरे, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं अभिलेख अनुसार इनके विरुद्ध कोई मांग एवं विभागीय जांच आदि वर्तमान में लंबित नहीं है।

3. अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री प्रमोद कुमार खरे, सेवानिवृत्त पदेन अवर सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग (मूल पद-कार्यपालन यंत्री सिविल) के पक्ष में " न मांग न जांच " प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(दिलीप नाथ गांधी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग  
भोपाल, दिनांक 02.01.2021

क्रमांक एफ 19-45/2020/पी-1/इकतीस  
प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय.....म.प्र.।
2. श्री प्रमोद कुमार खरे, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री द्वारा- कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर प्रेषित कर श्री खरे के पत्र व्यवहार के वर्तमान पते पर तामील कराये जाने हेतु।
3. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट में प्रविष्टि कराने हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग